"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016— आश्विन 15, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-44/2014/32. — छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उप-धारा (1) सहपठित धारा 6 की उप-धारा (3) एवं (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति एवं अर्हता के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति, अर्हता तथा पदावधि) नियम, 2016 कहलायेंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012);

   (ख) **"भाड़ा नियंत्रण अधिकरण"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भाड़ा नियंत्रण अधिकरण;

   (ग) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है इन नियमों एवं अधिनियम के अनुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य.

3. **सदस्य की अर्हता.**-(1) कोई भी व्यक्ति, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह,-

   (क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) उच्चतर न्यायिक सेवा का सेवानिवृत्त या सेवारत सदस्य न हो;

या

छत्तीसगढ़ शासन के सचिव की श्रेणी से अनिम्न पद धारण न करता हो अथवा उस पद से सेवानिवृत्त न हुआ हो;

या

विधि में स्नातक के साथ-साथ कम से कम सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव नहीं रखता हो.

(2) व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(3) नियुक्ति के लिए उस स्थिति में निरर्हित होगा, यदि ऐसी जांच, जैसा कि राज्य शासन उचित समझे, के पश्चात् और राज्य शासन का यह समाधान हो जाए कि वह उक्त पद के लिए सभी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है.

(4) सदस्य की सेवावधि, किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देने के पश्चात् अथवा ऐसे नोटिस के एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान करने के पश्चात्, समाप्त की जा सकेगी.

(5) उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत अधिकारी की नियुक्ति के पूर्व, उच्च न्यायालय से पूर्व परामर्श करना आवश्यक होगा.

4. **सदस्य की पदावधि.**-भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा उसके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए पद धारण करेगा.

5. **विवादों का निपटारा.**- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-44/2014/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-10-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th October 2016

NOTIFICATION

No. F 1-44/2014/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A read with sub-section (3) and (7) of Section 6 of the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) the State Government, hereby, makes the following rules relating to appointment and qualification of members of the Chhattisgarh Rent Control Tribunal, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Rent Control Tribunal (Appointment, Qualification and Term of Members) Rules, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011(No. 19 of 2012);

(b) "**Rent Control Tribunal**" means the Rent Control Tribunal established under sub-section (1) of Section 6 of the Act;

(c) "**Member**" means a member appointed by the State Government in accordance with these rules and Act.

3. **Qualification of members**.- (1) A person shall not be Qualified to be appointed as member unless he/she,-

(a) is a citizen of India;

(b) is retired or serving member of Higher Judicial Services;

Or

is retired or holding post not below the rank of Secretary in the Government of Chhattisgarh;

Or

is having bachelor degree in Law alongwith experience of atleast 7 years of practice.

(2) Person should not be more than 65 years of age.

(3) If after such inquiry as the State Government deems fit and the State Government is satisfied that he is not fit from all prospective for the said post, then in such situation shall be disqualified for appointment.

(4) The term of service of a member can be terminated by either of the party after serving one month's notice or after paying salary and allowances of one month in lieu of such notice.

(5) Prior consultation of High Court is mandatory before appointment of retired or serving officer of Higher Judicial Services on the post of member.

4. **Term of member**.- Every person appointed as member of the Rent Control Tribunal shall hold office for a term of 3 years from the date of assuming the post or until he attains the age of 65, whichever is earlier.

5. **Settlement of disputes**.- If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.